न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 32 / 2018

रामसहाय जाट पुत्र रामरख जी पटेल निवासी पटेल आवास,123 शास्त्री नगर निवाई जिला टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 06.08.2018

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25.04.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को दिनांक 30.04.2018 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–
1–कार्यालय सं0शि0 अजमेर क्र0 458–98 दिनांक 28.04.2000 से अधिकृत प्राचार्य श्री स0धर्म सं0वि0 निवाई(श्री बनवारी लाल शर्मा) द्वारा प्रार्थी शि0 सं0 के अथक प्रयासो से अनुकरणीय अपेक्षित नामाकंन व शैक्षिक वातावरण पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रशंषा पत्र हेतु गणतंत्र व स्वतंत्र दिवस पर क्रमवार क्र0 138 दिनांक 16.01.2004 व 12.08.2004 को 13 संलग्न सहित प्रेषित का आमद क्र0दि0 के निस्तारण की तथ्यात्मक वैधानिक सूचना मय संबंधित की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 978 दिनांक 26.06.2018,1056 दिनांक 09.07.2018,1114 दिनांक 18.07.2018 व 1167 दिनांक 30.7.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 5185 दिनांक 30.07.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 3091 दिनांक 03.05.2018 व 3394 दिनांक 22.05.2018 से अपीलार्थी को सूचना के संबंध मे सूचित किया जा चुका है तथा अपीलार्थी ने स्वंय दिनांक 01.06.2018 को कार्यालय मे उपस्थित होकर वर्ष 2004 की पत्रावली का अवलोकन कर लिखित मे दिया है कि पत्रावली मे से दस्तावेजात की आवश्यकता नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक